न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 732–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–3–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 127/अपील/2006–07

.....

1–श्रीमती रतनबाई पति स्व0बापूलालजी गुर्जर,
2–श्रीमती भूलीबाई पति स्व0बापूलालजी गुर्जर,
निवासीगण ढिकोला, तहसील व जिला मंदसौर
3–लीलाबाई पिता स्व0बापूलालजी गुर्जर
पति बाबूलाल गुर्जर
निवासी ग्राम मार्तण्डगंज तहसील जावरा जिला रतलाम
4–सरोदाबाई पिता श्री बापूलाल पति पप्पुलाल गुर्जर
निवासी सावन तहसील व जिला नीमच म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

गोपाल पिता रामचन्द्र गुर्जर
निवासी हाल ढिकोला तहसील व जिला मंदसौर

.....अनावेदक

.....

श्री बी0एस0चौहान, अधिवक्ता – आवेदकगण
श्री एस0एन0उपाध्याय, अधिवक्ता – अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–3–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पटवारी द्वारा तहसीलदार को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक गोपाल द्वारा ग्राम ढिकोला स्थित भूमि खाता कमांक 155 कुल किता 13 कुल रकबा 10.91 हेक्टेयर

के 1/2 भाग पर स्वयं का नाम, एवं शेष 1/2 भाग पर आवेदकगण रतनबाई, भूलीबाई बेवा बापूलाल, लीलाबाई एवं सरोदाबाई के नामान्तरण हेतु निवेदन किया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 16/अ–6/2005–06 दर्ज कर दिनांक 7–3–2006 को आदेश पारित किया जाकर उभयपक्ष का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–7–2006 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–3–2006 निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि रकबा 10.91 हेक्टेयर में से 1/2 भाग पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया और शेष 1/2 भाग पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4–7–06 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान व्यवहार न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेद्याज्ञा जारी कर दिये जाने के कारण अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–3–2011 को आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं कर केवल अस्थायी निषेद्याज्ञा जारी की गई है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण समाप्त करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि जब तक व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक न तो राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही रोकी जा सकती है और न ही प्रकरण समाप्त किया जा सकता है। उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को दृष्टिगत रखते

हुये ही अस्थायी निषेद्याज्ञा जारी की गई है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है और व्यवहार न्यायालय से जो भी आदेश पारित होगा वह राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी होगा, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण समाप्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपील निरस्त की गई है, जबकि व्यवहार न्यायालय द्वारा राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को रोकने संबंध कोई भी स्थगन नहीं दिया गया है, केवल कब्जे के संबंध में स्थगन दिया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का यह दायित्व था कि वह प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करते । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–3–2011 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर